(25)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2194] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 21, 2010/आश्विन 29, 1932

No. 2194] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 21, 2010/ASVINA 29, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2604(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् विद्युत तार केबिलों, साधित्र और संरक्षण युक्तियां और उपसाधन (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विद्युत तार, केबिलों, साधित्र और संरक्षण युक्तियां और उपसाधन (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2010 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. विद्युत तार, केबिलों, साधित्र और संरक्षण युक्तियां और उपसाधन (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2003 के खंड 3 के उप-खंड (1) के परंतुक में "और ऐसा कोई विनिर्देश किसी भी दशा में विनिर्दिष्ट मानक से कम नहीं होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 14(4)/2009-एलईआई]

अंजली प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र (असाधारण) में संख्यांक का.आ. 189(अ), तारीख 17 फरवरी, 2003 द्वारा जारी की गई और तत्पश्चात् उसमें अधिसूचनाएं संख्यांक का.आ. 165(अ), तारीख 5 फरवरी, 2004, सं. का.आ. 1172(अ) तारीख 22 अगस्त, 2005, सं. का.आ. 512(अ), तारीख 19 फरवरी, 2009 और सं. का.आ. 2058(अ), तारीख 7 अगस्त, 2009 द्वारा संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

ORDER

New Delhi, the 19th October, 2010

S.O. 2604(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order further to amend the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Order, 2003, namely :—

1. (1) This Order may be called the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Amendment Order, 2010.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Order, 2003, in the proviso to sub-clause (1) of Clause 3, the words "and such specification shall not in any case be less than the Specified Standard" shall be omitted.

[F. No. 14(4)/2009-LEI]

ANJALI PRASAD, Jt. Secy.

Note :—The principal notification was issued in the Gazette of India (Extraordinary) *vide* number S.O. 189(E), dated the 17th February, 2003 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 165(E), dated the 5th February, 2004, S.O.1172(E), dated the 22nd August, 2005, S.O. 512(E), dated the 19th February, 2009 and S.O. 2058(E), dated the 7th August, 2009.

4102 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.